न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिविजन संख्याः— 09 / 2018
दायर दिनांक :— 17.07.2018
निर्णय दिनांक :— 11.03.2019

अनवान

श्री मोहनलाल पिता माना भाण्ड निवासी मियाला तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

प्रार्थी / निगराकार

बनाम

1— ग्राम पंचायत मियाला जरिये सरपंच / सचिव ग्राम पंचायत मियाला तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
2—श्री देवीलाल पिता माना भाण्ड निवासी मियाला
3—उप पंजीयक देवगढ तहसील देवगढ जिला राजसमन्द

विपक्षी / गैर निगराकार

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 पटटा विलेख संख्या 032 दिनांक 29.10.2014 जारी द्वारा ग्राम पंचायत मियाला से व्यथित होकर

उपस्थित :—
1—श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता निगराकार
2— गैर निगराकार अनुपस्थित

—:: निर्णय ::

प्रार्थी / निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका में यह निवेदन किया हैं कि अप्रार्थी को ग्राम पंचायत मियाला द्वारा दिनांक 29.10.2014 को पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम के तहत पटटा संख्या —032 को जारी करने से व्यथित होकर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की है। जारी किया गया पटटा ग्राम पचायत मियाला द्वारा पैतृक मकान होते हुये भी एक ही भाई को पटटा जारी कर दिया गया उसे निरस्त कराये जाने हेतु यह निगरानी याचिका प्रस्तुत कि है। निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जावे।

प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी / गैर निगराकार को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधिनस्थ ग्राम पंचायत का रिकार्ड तलब किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई । प्रार्थी / निगराकार के अधिवक्ता द्वारा बहस में अवगत कराया कि ग्राम पंचायत मियाला द्वारा राजस्व ग्राम

मियाला की आवासीय भूमि दर्शाते हुए पटटा विपक्षी संख्या 02 के नाम पर 2163 वर्गगज का जारी किया गया है जो दिनांक 29.10.201 को पटटा संख्या 032 के रूप में विपक्षी संख्या 02 के पक्ष में जारी किया गया है। जबकि उक्त भूमि का पटटा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं है। उक्त भूमि निगराकार की पैतृक रही है। लेकिन ग्राम पंचायत ने उक्त भूमि का पटटा विपक्षी संख्या 02 के नाम पर जारी किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157 के तहत पुश्तैनी मकान का यह पटटा अकेले विपक्षी संख्या 02 के नाम पर जारी किया गया है। जबकि माना जी का विपक्षी संख्या 02 अकेला वारिस नहीं है। माना जी तीन बेटे है। देवीलाल,नारायण एवं मोहनलाल केवल एक बेटे के श्री देवीलाल के नाम पटटा दिया जाना विधि के विपरीत है। जारी किये गये पटटे में निगराकार का हक अधिकार निहित है। उक्त मकान में निगराकार का 1/3 हिस्सा निहित है। विपक्षी सख्या 02 ने उक्त पटटा जारी कराने में मिथ्या शपथप. ग्राम पंचायत में प्रस्तुत किया है। यहा यह भी उल्लेखनीय हैं कि ग्राम पंचायत ने पटटा जारी किये जाने के बाद विपक्षी सख्यां 02 से शपथ पत्र प्राप्त किया हैं । जब पटटा दिनांक 29.10.2014 को जारी कर दिया गया और शपथ पत्र दिनांक 05. 11.2014 को प्राप्त किया गया है। शपथ पत्र में भी मकान स्वयं का होना बताया हैं तथा अपने भाई का हिस्सा नही होना बताया है, जबकि उक्त मकान में निगराकार का हिस्सा निहित हैं । निगराकार के पास उक्त पटटेशुदा मकान के अतिरिक्त अन्य कोई मकान मियाला में स्थित नही है। मकान को हडपने के उददेश्य से विपक्षी संख्या 01 से मिलिभगत कर विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में यह पटटा जारी कर दिया गया है। अतः निगराकार की निगरानी याचिका स्वीकार फरमाई जावे तथा ग्राम पंचायत मियाला द्वारा जारी किया गया पटटा संख्या 032 दिनांक 29.10. 2014 निरस्त फरमाया जावे।

विपक्षी/गैर निगराकार की ओर से कोई उपस्थित नहीं । गैर निगराकार संख्या 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित । निगराकार की एक तरफा बहस सुनी गई ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली में गुणावगुण के आधार पर यह विवेचन हैं कि गैर निगराकार को जो ग्राम पंचायत द्वारा पटटा जारी किया गया है। वह सम्पत्ति निगराकार एवं गैर निगराकार की पैतृक सम्पत्ति है। ग्राम पंचायत को केवल एक व्यक्ति के नाम पटटा जारी किये जाने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा पटटा दिनांक 29.10.2014 को जारी किया गया है। जबकि पटटा पत्रावली में लगे शपथ पत्र में दिनांक 05.11.2014 अंकित हैं तथा पत्रावली में लगे ईकरानामा श्रीमती मगदू देवी पत्नी मानाराम का दिनांक 18 दिसम्बर 2016 का लगा हुआ है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पटटा गलत जारी किया गया हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण पत्रावली संदेह के घेरे में हैं । अतः इस सम्बन्ध में विकास अधिकारी पंचायत समिति देवगढ को दोषी ग्राम विकास अधिकारी,ग्राम पंचायत मियाला के विरूद्व जांचकर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु लिखा जावे तथा पालना मंगवाई जावे। इस प्रकार ग्राम पचायत द्वारा जारी किया गया पटटा सख्या 032 दिनांक

29.10.2014 निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार किये जाने योग्य होना पाया जाता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को स्वीकार किया जाकार ग्राम पंचायत मियाला द्वारा जारी किया गया पटटा संख्या 032 दिनांक 29.10.2014 निरस्त किया जाता है।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 11.03.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द